न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मसूदा जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2019

श्री महेन्द्रसिंह सांखला पुत्र श्री इन्द्रसिंह सांखला आयु 52 साल जाति जैन हाल निवासी लोढा कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर (राज0) जरिये मुख्तयार आम श्री दीपक सांखला पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह जाति जैन निवासी जैन कॉलोनर मेवाडी गेट बाहर, ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

———प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब बिजयनगर जिला अलमेर (राज0)

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थन भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 28.08.2019

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1348 रकबा 00–13–00 किस्म गैर मुमकिन चट्टान अंकित कर गई है, जिसकी खातेदारी पहाडिया तथा पर्वत (चारागाह क्षैत्र) राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जबकि उक्त आराजियात जमाबन्दी चौसला संवत 2051–53 व हाल जमाबन्दी संवत 2069–2072 में उक्त खसरा नंबर 1348 को खाता 1 के पहाडिया एंव पर्वत में दर्ज हो रखी है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1348 प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1347 के अग्र भाग से समानान्तर लगती हुई भूमि है। प्रार्थी अपनी आराजी भूमि खसरा संख्या 1347 का रूपान्तरण करवाना चाहता है किन्तु आराजी भूमि खसरा संख्या 1347 के रूपान्तरण हेतु उससे लगते हुये भूमि खसरा नंबर 1348 जो पहाडिया एंव पर्वत (चारागाह भूमि) अंकित होने के कारण रूपान्तरण कार्यवाही बाधित हो रही है। जिस सन्दर्भ में कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बिजयनगर–अजमेर के क्रमांक/भू.अ./1872 दिनांक 27.11.2017 में स्पष्ट अंकन है कि खसरा नंबर 1347 से मुख्य सडक पंहुचने हेतु बीच में खसरा नंबर 1348 है, जो कि सिवायचक खाते में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी चौसला संवत 2051–53 में एंव हाल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में उक्त खसरा नंबर 1348 को खाता संख्या 1 के पहाडिया एवं पर्वत में दर्ज हो रखी है किन्तु राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियों के द्वारा सहवन से कम्प्यूटीकरण के वक्त (सेकरीकेशन) वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में खसरा नंबर 1348 पहाडिया एंव (चारागाह भूमि) अंकित कर दी गई है। जबकि पूर्व के सम्पुर्ण राजस्व रिकार्ड में सिवायचक खाते दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने जब राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की तब प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ तब प्रार्थी ने संबंधित पटवारी एंव अप्रार्थी से सम्पर्क राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करने का निवदेन किया किन्तु अप्रार्थी एंव संबंधित पटवारी ने दुरूस्त करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया एंव माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः निवेदन है, कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि खाता नंबर 1 के खसरा नंबर 1348 पहाडिया एंव पर्वत (चारागाह भूमि) के स्थान पर वर्तमान जमाबन्दी 2069–2072 में खसरा नंबर 1348 पहाडिया एंव पर्वत अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का समुचित आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया है, कि वर्तमान कम्प्यूटरीकरण

नि. क्षैत्र रामगढ तहसील मसूदा (बिजयनगर) जिला अजमेर की आराजी भूमि खसरा नंबर 1348 रकबा 00–13–00 किस्म गै. मु. चट्टान है। अंकित कर दी गई है जिसकी खातेदारी पहाडिया तथा पर्वत (चरागाह हेतु) राजस्व रिकोर्ड में अंकित है। परन्तु जमाबन्दी चौसाला संवत 2050–53 में ख.सं. 1348 रकबा 00–13–00 किस्म गै.मु. चट्टान खाता सं. 01 में दर्ज है। जो खेती के लिए उपलब्ध नही है सब–हैड(क) केवल चराईया योग्य जमीन, पहाडियॉ और पर्वत दर्ज है। जमाबंन्दी चौसाला सम्वत 2050–53 में खसरा संख्या 1348 रकबा 00–13–00 किस्म गै.मु. चट्टान खाता सं. 01 में दर्ज है जो जमीन खेती के लिए उपलब्ध नही है। सब हैड(क) केवल चराई के लिए योग्य जमीने पहाडिया और पर्वत दर्ज है जमाबन्दी संवत 2065–68 (कम्प्यूटरीकरण जमाबंदी) में उक्त खसरा नं. खाता संख्या 01 में पहाडी तथा पर्वत (चरागाह हेतु) दर्ज है। अतः जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत है।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी ने मुख्तियारनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा महेन्द्रसिंह सांखला द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1347 के विषय में अपना मुख्तियारआम प्रार्थी दीपक सांखला को नियुक्त किया जाना पाया गया। तथा जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार खसरा नंबर 1347 महेन्द्रसिंह सांखला के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत 2058 से 2061 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 1348 व अन्य खसरान के विषय में केवल चाराई योग्य भूमि एंव झाडीवाले जंगल, पहाडी एवम् खड्डे, पहाडिया एंवम् पर्वत दर्ज होना पाया गया। एंव जमाबंदी संवत, 2065–2068 एंव 2069 से 2072 में खसरा नंबर 1348 रकबा 13 बिस्वा पहाडी तथा पर्वत (चारागाह हेतू) खातेदारी में दर्ज होना पाया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में खसरा नंबर 1348 रकबा 13 बिस्वा खाता मिल्कियत सरकार जमीने जो खेती के लिये उपलब्ध नही (क) केवल चरायी के लिये योग्य जमीने पहाडिया और पर्वत दर्ज होना पाया गया। उक्त दस्तावेजी विवेचनो के अनुसार प्रार्थी का विवादित भूमि खसरा नंबर 1348 से कोई संबंध व सरोकार नही है, यहां तक धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान अंकित किया गया है कि किसी भी खातेदार आसामी का नाम, जाति, सकूनत आदि सेटलमेंट के पूर्व लिखा हुआ और सेटलमेंट के बाद गलत दर्ज कर दिया गया है, वह ही आसामी खातेदार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्ती करवा सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ना तो उक्त विवादित भूमि का खातेदार आसामी है,ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यो व दस्तावेजी विवेचन के आधार प्रार्थी को उक्त विवादित भूमि के विषय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होता है, और ना ही दुरूस्ती करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 12:18:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: